राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1767/2023

मनोज कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. चिकित्सा अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.07.2023

आदेश की दिनांक : 14.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री धीरज गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 12.05.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक किया गया है एवं आदेश दिनांक 21.06.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी हृदय रोग से पीडित है एवं उसकी पत्नी भी हड्डी के गंभीर रोग से पीडित है। अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया गया और वर्तमान में

उक्त पद रिक्त है तथा निदेशालय में भी लगभग 7 पद वर्तमान में रिक्त हैं, फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में कर दिया गया है, जो नियम एवं नीति के विरूद्ध है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.01.2023 के द्वारा जिसमें राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं एपीओ पर रोक लगाने संबंधी आदेश दिया और दिनांक 15.01.2023 से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। परंतु अति आवश्यक होने पर माननीय मुख्यमंत्री की अनुमति के पश्चात् ही स्थानान्तरण किया जा सकता है लेकिन अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना अनुमति के एवं प्रतिबंध लगे होने के बावजूद किया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

अतः अपीलार्थी की उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.05.2023 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 21.06.2023 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रशासनिक अधिकारी के पद पर अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में कार्यरत है। अनुलग्नक–8 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी दोनों ही उपरोक्त गंभीर बीमारी से पीडित हैं। इस प्रकार मामले की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 12.05.2023 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 21.06.2023 (अनुलग्नक–2) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी को अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित

समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य